संख्या-128/2017/2064/22-2-2016-17(379)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अकबर अली पुत्र श्री रमजान खां, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अकबर अली पुत्र श्री रमजान खां, निवासी ग्राम-आलमपुर गजरौला, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी ने चचेरे भाई से अपनी पत्नी के अवैध सम्बन्ध के चलते मौके पर देख लिया जिससे उत्तेजित होकर दिनांक 10.04.1998 को अपनी पत्नी अरफी बी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-33/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,307,506(2) तथा आयुद्ध अधिनियम की धारा 4/25 में मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 09-02-2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 06-07-2007 द्वारा उक्त् सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 17 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 00 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा बन्दी के अभिभावक को संरक्षण हेतु उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने चचेरे भाई से अपनी पत्नी के अवैध सम्बन्ध के चलते मौके पर देख लिया जिससे उत्तेजित होकर दिनांक 10.04.1998 को अपनी पत्नी अरफी बी की चाकू से मारकर हत्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 47 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नही हैं। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी अकबर अली पुत्र श्री रमजान खां, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-19598 (एम0/बी0)/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अकबर अली (बन्दी संख्या-35286) पुत्र श्री रमजान खां, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-128/2017/2064(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-128/2017/2064@22-2-2016-17(379)/2016

दिनांक 28 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी अकबर अली (बन्दी संख्या-35286) पुत्र श्री रमजान खां, निवासी ग्राम-आलमपुर गजरौला, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी ने चचेरे भाई से अपनी पत्नी के अवैध सम्बन्ध के चलते मौके पर देख लिया जिससे उत्तेजित होकर दिनांक 10.04.1998 को अपनी पत्नी अरफी बी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-33/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,307,506(2) तथा आयुद्ध अधिनियम की धारा 4/25 में मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 09-02-2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 06-07-2007 द्वारा उक्त् सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 17 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 00 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा बन्दी के अभिभावक को संरक्षण हेतु उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने चचेरे भाई से अपनी पत्नी के अवैध सम्बन्ध के चलते मौके पर देख लिया जिससे उत्तेजित होकर दिनांक 10.04.1998 को अपनी पत्नी अरफी बी की चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 47 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नही हैं। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी अकबर अली पुत्र श्री रमजान खां, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in